संख्या– 320 ई–2/तेरह–2009–115/2008

प्रेषक,

श्री नवल किशोर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊ::दिनांक::11 फरवरी, 2009

विषयः– वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या जी– 152/दस–लाइसेन्स– 367/सुझाव आबकारी नीति/ 2009–10, दिनांक 06 फरवरी, 2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2009–10 के लिये आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने का मुझे निदेश हुआ हैः–

3. आबकारी प्रशासन के लिये विभाजित चारों जोनों (लखनऊ, वाराणसी, मेरठ व आगरा) का प्रतिवर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, देशी शराब का एम0जी0क्यू0 बल्क लीटर में, प्रति व्यक्ति देशी शराब के उपभोग, जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक व्यवस्था तथा विधिक एवं वित्तीय आधार के दृष्टिगत मेरठ जोन (बरेली प्रभार को सम्मिलित करते हुए) को विशिष्ट जोन घोषित किया जाता है।

4– फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–

1. मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) विशिष्ट जोन की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

(i) वर्ष 2009–10 हेतु मेरठ जोन में बरेली प्रभार को सम्मिलित करके इसे **"विशिष्ट जोन"** घोषित कर, इस जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा बीयर एवं मॉडल शाप्स का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रण वाली राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थाओं/निगम, को आवेदन के उपरान्त अनुज्ञापन देकर किया जाएगा। आवेदनपत्र के साथ विशिष्ट जोन की सभी देशी शराब,

विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की निर्धारित धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा, जो जनपदों की दुकानों सम्बन्धी अनुज्ञापत्र प्राप्त कर लेने पर वापसी योग्य होगा। आवेदक ज्वाइन्ट वेन्चर भागीदारी में भी आवदेन प्रस्तुत कर सकता है, परन्तु ऐसे ज्वाइन्ट वेन्चर भागीदार का चयन पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया से आबकारी राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत किया जाएगा।

(अ) आवेदन हेतु निम्न अर्हतायें होंगीः—

(क) राज्य के नियंत्र्णाधीन उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थायें/निगम।

(ख) ऐसी संस्था/निगम को अनुज्ञापी के रूप में मदिरा की फुटकर बिक्री का अनुभव हो। इस हेतु आबकारी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र/अनुज्ञापन प्रस्तुत करना होगा।

(ग) ऐसी संस्था/निगम आबकारी देयों का बकायेदार न हो।

(घ) ऐसी संस्था/निगम, जो आबकारी लाइसेन्स धारण करने हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

(ब) आवेदन प्राप्त करने एवं अर्ह आवेदकों में अनुज्ञापी चयन करने हेतु निम्न प्रक्रिया होगीः—

(क) आबकारी आयुक्त द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित कर समुचित प्रचार—प्रसार कर आवेदनपत्र मांगे जांएगे।

(ख) ऐसे आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) प्राप्त आवेदनपत्रें का युक्ति—युक्त परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन किया जाएगा।

(घ) एक से अधिक अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक का चयन लाटरी से पारदर्शी ढ़ंग से किया जाएगा।

(ड़) एक ही अर्ह आवेदन चिन्हित होने की दशा में ऐसे सफल आवेदक को चयनित किया जाएगा।

वर्ष 2009—10 में उपरोक्त व्यवस्था प्रयोगात्मक रुप से अभिनव प्रयोग के रुप में मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के ''विशिष्ट जोन'' की दुकानों के लिए ही किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस नीति के सुचारु एवं सफल संचालन की समीक्षा की जायेगी और इसमें प्रयोग सफल न हो सकने की स्थितियां उत्पन्न होने पर मध्य सत्र में कभी भी इस नीति को वापस लिया जा सकता है जिसके लिए अनुज्ञापी को कोई प्रतिपूर्ति देय न होगी।

2— आगरा, वाराणसी तथा लखनऊ (बरेली प्रभार को छोडकर) जोन में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों व मॉडल शाप का व्यवस्थापन :—

उपरोक्त जोनों में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2009–10 में सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्तर 1 व 2 के अनुसार विशिष्ट जोन/**विस्तारित मेरठ जोन** (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित लाइसेंसों की अवधि एक आबकारी वर्ष (2009–10) अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तो पर करा सकता है, जो यथासमय राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये जाये।

उपरोक्तानुसार प्रस्तर–1 व 2 के अन्तर्गत दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी, उपायुक्त प्रभार, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन व आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालयों से प्राप्त किया जाएगा। दुकानों के व्यवस्थापन में एकाधिकार रोकने एवं पारदर्शिता बनाये रखने हेतु उपरोक्त के साथ ही साथ वर्ष 2008–09 की भांति आवेदन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा करने की व्यवस्था होगी, किन्तु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राप्त किये जा सकेंगे।

5. **<u>देशी शराबः–</u>**

(1) **<u>देशी शराब का एम.जी.क्यू.:–</u>**

प्रदेश के वर्ष 2008–09 के लिए वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) में 7 प्रतिशत तथा मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में 8 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009–10 हेतु 22.78 करोड़ बल्क लीटर एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जाता है। अतः उक्त सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगीः–

(क) एम.जी.क्यू. निर्धारण के लिए वर्ष 2008–09 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. को आधार माना जायेगा, तथा उसी पर जोन के लिए निर्धारित उपरोक्तानुसार वृद्धि करके वर्ष 2009–10 के लिए जनपदों की दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। मध्य सत्र में व्यवस्थित दुकानों के संबंध में व्यवस्थापन की तिथि तक व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. को समानुपातिक रुप से बढ़ाकर वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. का आगणन किया जायेगा।

(ख) यदि क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक और जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वंय के द्वारा किये गये दुकानों के निरीक्षण अथवा दुकानों की वास्तविक बिक्री के आधार पर किसी दुकान विशेष का एम.जी.क्यू. कम या अधिक अनुभव हो रहा है, तो वह वर्ष 2008–09 के एम.जी.

क्यू. में 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ोतरी/घटोतरी करके वर्ष 2009–10 के लिए दुकान के एम.जी.क्यू. का निर्धारण करेंगे।

(ग) प्रदेश में पूर्व से स्वीकृत देशी शराब की सभी उप दुकानों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है तथा ऐसी उप दुकानें जिनका एम.जी.क्यू. निर्धारित था, के एम.जी.क्यू. का व्यवस्थापन तथा यथावश्यकता पूर्व स्थापित मूल दुकानों/नवसृजित दुकानों में समावेशित कर पुनर्निर्धारित करते हुए, कराया जाएगा। साथ ही उप दुकानों के समाप्त होने से रिक्त हो रहे स्थान पर अथवा उसे युक्ति–युक्त कर परिवर्तित करते हुए यथावश्यकता दुकानों का नवसृजन भी इन स्थानों पर कराया जाएगा।

(घ) जनपद विशेष में पूर्व व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. एवं उपरोक्तानुसार बढ़ रहे एम.जी. क्यू. सहित समस्त एम.जी.क्यू. का समावेश वास्तविक उपभोग क्षमता की युक्ति–युक्त की गयी वर्तमान दुकानों एवं नवसृजित दुकानों में प्रत्येक दशा में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) उपरोक्तानुसार वर्ष 2009–10 के एम.जी.क्यू. को दुकानवार/क्षेत्रवार आबकारी निरीक्षकों द्वारा तथा दुकानवार/क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा करने के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त प्रभार की सहमति लेने के पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(च) उपरोक्तानुसार दुकानों के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू पर क्षेत्र, जनपद, प्रभार एवं जोन की शत–प्रतिशत दुकानों के व्यवस्थापन के लिए क्रमशः क्षेत्रिय आबकारी निरीक्षक, जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, प्रभार के उप आबकारी आयुक्त एवं जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त उत्तरदायी होंगे।

(2) **<u>देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–</u>**

वर्ष 2008–09 की देशी शराब की बेसिक लाइसेन्स फीस रू0 15/– में रु0 5/– प्रति ब0ली0 की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009–10 में रु0 20/– प्रति ब0ली0 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(3) **<u>देशी शराब की प्रतिफल फीसः–</u>**

वर्ष 2008–09 की देशी शराब की प्रतिफल फीस रु0 104 में रु0 4/– प्रति ब0ली0 की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009–10 में रु0 108/– प्रति ब0ली0 रखे जाने जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) <u>देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापनः–</u>

देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन, उपरोक्त प्रस्तर–4 के उप प्रस्तर 1 व 2 के अनुसार किया जाएगा।

(पप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन के साथ ही मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न कराया जायेगा।

(पपप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की व्यवस्थापन को अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2009–10 की निर्धारित लाइसेंस फीस पर ही किया जायेगा।

(पअ) उपरोक्त व्यवस्थापन में अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन शासन द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कराया जाएगा, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदायित्व का परीक्षण जनपद की परिस्थितियों के क्रम में किया जाएगा।

(5) **<u>देशी शराब की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीसः–</u>**

वर्ष 2008–09 में लाटरी के आवेदन पत्रें की प्रोसेंसिंग फीस रु0 2500/– प्रति आवेदन पत्र में रु0 500/– की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009–10 के लिये प्रोसेंसिंग फीस रु0 3000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(6) **<u>देशी मदिरा की श्रेणियाँ एवं मूल्य निर्धारणः–</u>**

वर्ष 2008–09 में देशी शराब की वर्तमान में प्रचलित तीन श्रेणियों 25ः वी/वी (सादा), 36ः वी/वी (मसाला) तथा 42.8ः वी/वी (मसाला) को वर्ष 2009–10 में यथावत रखते हुए केवल 25 प्रतिशत वी/वी श्रेणी में सादा के साथ–साथ मसाला भी बढ़ाते हुए, आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से भिन्न–भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर के पूर्व प्रतिबंधों के साथ बनाये रखने का निर्णय लिया गया है। आसवक उक्त श्रेणियों की मदिरा यथा आवश्यकता गुणवत्ता की दृष्टि से ई0एन0ए0 से भी निर्मित कर सकते है।

उक्त श्रेणियों के अधिकतम थोक व अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य सामान्य जोन, (वाराणसी, आगरा, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) तथा विशिष्ट जोन मेरठ (बरेली प्रभार सहित) के लिए **<u>संलग्नक–1</u>** के अनुसार निर्धारित किया जाए।

(7) **<u>देशी शराब की दुकानों का सृजनः–</u>**

वर्ष 2009–10 में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को 15 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार होगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से

किया जाएगा। विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में यथाआवश्यकता मध्य सत्र में भी दुकानों का सृजन किया जा सकता है।

दुकान की वाइविलिटी के आधार पर निकाय वार न्यूनतम एम.जी.क्यू. निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः–

निकाय	वर्ष 2009–10 के लिए निकाय विशेष के लिए न्यूनतम निर्धारित की जाने वाली मात्र बी0एल0 में
ग्रामीण	6000
नगर पंचायत	7000
नगर पालिका	12000
नगर निगम	17000

उपरोक्त एम.जी.क्यू. में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत पूर्व परिपत्रें एवं अग्रेतर निर्गत परिपत्रें के आधार पर दुकान की प्रास्थिति एवं निकटवर्ती दुकानों के एम.जी.क्यू. के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त न्यूनतम एम.जी.क्यू. में युक्ति–युक्त वृद्धि करके निर्धारित करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी सक्षम होंगे। इन नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है।

(8) **<u>देशी शराब की थोक आपूर्तिः–</u>**

देशी शराब की थोक आपूर्ति प्रदेश के प्रत्येक जोनवार ऐसी इकाई के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जो जोन के प्रत्येक जनपद में अपने डिपो स्थापित करे, तथा विभिन्न आसवनियों से स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न प्रकार के ब्राण्डों की आपूर्ति यथा मांग ग्लास/पेट बोतलों में कर सकें। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

<u>(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापनः–</u>

प्रत्येक जोन में एक सी0एल0–1बी अनुज्ञापन होगा। इस अनुज्ञापन हेतु आवेदक की अर्हताएं निम्न प्रकार होंगीः–

1– 21 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो, रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी ही अर्ह होगी। कर्न्सोशियम अर्ह नहीं होंगे। पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में आर्टिकिल आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एवं सर्टीफिकेट आफ इनकारपोरेशन प्रस्तुत करना होगा। रजिस्टर्ड भागीदारी कम्पनी की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत

करनी होगी। किसी व्यक्ति होने की स्थिति में, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2— इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यापार में निहित धनराशि के दृष्टिगत राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः ऐसे आवेदक का शराब के थोक व्यवसाय में वर्ष 2006—07, 2007—08 या 2008—09 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में रु0 400 करोड़ का न्यूनतम टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर के प्रमाण के रुप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के आबकारी अथवा वाणिज्यकर विभागों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

3— शराब के थोक व्यवसाय में अनुज्ञापी के रुप में अनुभव हो, आबकारी राजस्व के बकायेदार न हों एवं लाइसेंस धारण हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

4— आवेदक प्रत्येक जोन में सी0एल0—1बी अनुज्ञापन के लिये पृथक—पृथक आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5— आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6— चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी।

7— ऐसा आवेदक अल्कोहल उत्पादक/मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए।

8— आवेदक को पैन नं0 प्रस्तुत करना होगा ।

9— इस अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रु0 8 करोड़ तथा प्रतिभूति धनराशि रु0 80 लाख बैंक ड्राफ्ट के रुप में देय होगा। उपरोक्त अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार जमा किया जायेगाः—

रु0 2.50 करोड़	आवेदन स्वीकृति के समय
रु0 2.50 करोड़	दिनांक 30.06.09 तक
रु0 3.00 करोड़	दिनांक 30.09.09 तक

10— अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस रु0 2.00 लाख होगी। धरोहर धनराशि रु0 50.00 लाख होगी, जो आवेदक के अनुज्ञापी के रुप में चयनित हो जाने की दक्षा में लाइसेंस फीस में समायोजनीय होगी।

इस अनुज्ञापन के लिए आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समाचार पत्रें में विज्ञापन देकर समुचित प्रचार प्रसार कराया जायेगा। प्राप्त आवेदन पत्रें में से, अर्हताएं पूर्ण करने वाले एक से अधिक आवेदकों के मध्य आवंटी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। एकल प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर, अन्यथा अनुपयुक्त न होने की दशा में ऐसा एकल आवेदक अनुज्ञापन हेतु चयनित किया जा सकेगा।

<u>(ख) सी0एल0—1सी अनुज्ञापनः—</u>

उपरोक्तानुसार चयनित सी0एल0–1बी अनुज्ञापी को सुचारु आपूर्ति हेतु जोन के प्रत्येक जनपद में सी0एल0–1सी अनुज्ञापन अपरिहार्य रुप से लेना होगा, जिसकी लाइसेंस फीस रु0 1.00 लाख व प्रतिभूति रु0 10 हजार होगी। सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त कर संबंधित आसवनी ले जाकर बोतलों पर चस्पा कराया जाएगा। इस प्रकार सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का आयात ही प्रदेश में अनुमन्य होगा।

उपरोक्तानुसार विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित उक्त लाइसेंसों सी0एल0–1बी व सी0एल0–1सी, की अवधि एक आबकारी वर्ष (2009–10) अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तों पर करा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा यथासमय विनिश्चित की जाये।

(ग) देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिये निर्धारित सी0एल0–2 अनुज्ञापन की व्यवस्था को समाप्त करते हुए आसवनी स्तर से ली जाने वाली सी0एल0–2 अनुज्ञापन की अतिरिक्त लाइसेन्स फीस रू0 1/– प्रति ब0ली0 को भी समाप्त किया जाता है।

(9) **<u>देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–</u>**

देशी मदिरा की बोतलों हेतु वर्ष 2008–09 में निर्धारित रु0 5000 प्रति लेबुल में रु0 5000 की वृद्धि करके वर्ष 2009–10 में लेबुल अनुमोदन फीस रु0 10000/– प्रति लेबुल रखे जाने का निर्णय लिया गया है तथा लेबुलों पर मदिरा के विक्रय के जोन का नाम भी अंकित कराया जाएगा।

(10) **<u>देशी शराब के ब्रान्डों का रजिस्ट्रेशनः–</u>**

वर्ष 2008–09 के लिए निर्धारित रु0 5000/– प्रति ब्राण्ड में रु0 5000 की वृद्धि करके वर्ष 2009–10 के लिए ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क रु0 10000/– प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(11) **<u>देशी शराब निर्यात पास फीसः–</u>**

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस गत वर्ष की भांति रु0 10/– प्रति ए0एल0 निर्धारित थी, इसे वर्ष 2009–10 में भी यथावत् बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

(12) **देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–**

देशी शराब की फुटकर दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक प्रतिफल फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । आगामी वर्ष 2009–10 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाएगा, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकी है, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2009–10 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(13) **देशी शराब की आपूर्तिः–**

वर्ष 2009–10 में देशी मदिरा की आपूर्ति सभी निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में की जायेगी।

(14) **देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों पर मदिरा पान की सुविधाः–**

देशी शराब की दुकान पर मदिरा पान की सुविधा को स्पष्ट करते हुए इस सुविधा में अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं के बैठने की व्यवस्था, गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थो को पकाकर उपलब्ध कराया जाएगा।

6. **विदेशी मदिराः–**

(1) **विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस :–**

वर्षवार वृद्धियों का समावेश कर वर्ष 2002–03 में निर्धारित उपभोग/विक्रय आधारित श्रेणियों की लाइसेंस फीस वर्ष 2008–09 में निम्न प्रकार हैः–

श्रेणी **लाइसेंस फीस (रूपये में)**

क्रम संख्या	750 एम0एल0 की बोतल की बिक्री के आधार पर श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र हेतु	नगर पंचायत क्षेत्र हेतु	नगर पालिका क्षेत्र हेतु	नगर निगम क्षेत्र हेतु
1	2500 तक	47400	97900	210200	629900

2	2501 से 5000 तक	94500	97900	210200	629900
3	5001 से 10000 तक	188800	195700	210200	629900
4	10001 से 15000 तक	377200	391200	419900	629900
5	15001 से 25000 तक	565700	586800	629900	629900
6	25001 से 40000 तक	942800	977700	1049500	1049500
7	40001 से 80000 तक	1508400	1564300	1679200	1679200
8	80001 से 120000 तक	2262600	2346400	2518800	2518800
9	120000 से अधिक	2828100	2932900	3000000	3000000

विक्रय आधारित श्रेणियों को समाप्त कर निम्नानुसार अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारित किया जाता है:—

(क) आबकारी आयुक्त स्तर पर उपलब्ध अंतिम मास के विवरण पत्र के आधार पर प्रदेश के चलित विदेशी मदिरा के उपभोग के औसत से प्रदेश के वार्षिक अनुमानित उपभोग का आगणन किया जायेगा।

(ख) प्रदेश की विदेशी मदिरा की वार्षिक लाइसेंस फीस (वर्तमान में वर्ष 2008—09) को वार्षिक अनुमानित उपभोग से भाग देकर प्रति बोतल लाइसेंस फीस का अधिभार ज्ञात हो जायेगा, जिसे पूर्णांक में राउण्ड आफ किया जायेगा तथा इस अधिभार में रु0 1/— की वृद्वि करके आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2009—10 के लिए लाइसेंस फीस निर्धारण हेतु प्रति बोतल अधिभार निर्धारित किया जाएगा।

(ग) विदेशी मदिरा की प्रत्येक दुकान का आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मास तक चलित उपभोग के औसत के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी।

(घ) विदेशी मदिरा की दुकान के उपरोक्तानुसार आगणित वार्षिक अनुमानित उपभोग को आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2009—10 के लिए निर्धारित अधिभार से गुणा करके प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी, तथा उसका परीक्षण उप आबकारी आयुक्त, प्रभार से कराकर लाइसेंस प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) **विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :—**

(प) विदेशी शराब की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन, उपरोक्त प्रस्तर— 4 के उप प्रस्तर 1 व 2 के अनुसार किया जाएगा।

(पप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। साथ ही विशिष्ट जोन/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) का व्यवस्थापन भी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न कराया जायेगा।

(पपप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की व्यवस्थापन को अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2009–10 की निर्धारित लाइसेंस फीस पर ही किया जायेगा।

(पअ) उपरोक्त व्यवस्थापन में अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन शासन द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कराया जाना प्रस्तावित है, परन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदायित्व का परीक्षण जनपद की परिस्थितियों के क्रम में किया जाएगा।

(3) **<u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीसः–</u>**

वर्ष 2009–10 के लिये सार्वजनिक लाटरी हेतु प्राप्त प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर प्रोसेसिंग फीस की दर को वर्ष 2008–09 में प्रचलित फीस रु0 2500/– में रु0 500/– की वृद्धि करते हुए रु0 3000/– प्रति प्रार्थना पत्र रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) **<u>विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–</u>**

वर्ष 2009–10 में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को 15 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार होगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

उपरोक्त प्रस्तर 6 के उप प्रस्तर (1) के विवेचन के अनुसार विदेशी मदिरा की नवसृजित दुकानों की वाइविलिटी की दृष्टि से वर्ष 2009–10 के लिए नवसृजित विदेशी मदिरा की दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नांकित बोतलों के आधार पर आगणित कर निर्धारित करते हुये नियमानुसार समाचार पत्रें में प्रकाशित कराकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से उपरोक्तानुसार निर्धारित चरणों में व्यवस्थापन कराया जाएगाः–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम बोतलों की संख्या, जिसके आधार पर अनुज्ञापन शुल्क आगणित किया जाना है।
1	नगर निगम	32000
2	नगर पालिका	14000
3	नगर पंचायत	7000
4	ग्रामीण	4000

अग्रेतर प्रतिबंध यह भी होगा कि नवसृजित दुकानों की प्रास्थिति का निर्धारण आबकारी आयुक्त के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ही होगा।

(5) **विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दैनिक लाइसेंस फीसः—**

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2009—10 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाएगा, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकी हैं, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2009—10 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(6) **विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीसः—**

वर्ष 2008—09 के सापेक्ष वर्ष 2009—10 हेतु श्रेणियों का पुर्ननिर्धारण करते हुए सेमी प्रीमियम को दो श्रेणियों में विभाजित करते हुए 13 श्रेणियों हेतु निम्नानुसार प्रतिफल फीस रखे जाने का निर्णय लिया गया हैः—

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रुपये में)		श्रेणी		वर्ष 2008—09 में प्रतिफल फीस		वर्ष 2009—10 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस		प्रति लीटर बृद्धि
				प्रति लीटर	प्रति बोतल	प्रति लीटर	प्रति बोतल	
1.	0 से 25/— तक	चीप (सस्ती)	GGG	157.00	117.75	170.00	127.50	13.00
2.	25/— से अधिक 30/— तक	मीडियम वीटा	FFB	170.00	127.50	180.00	135.00	10.00
3.	30/— से अधिक 40/— तक	मीडियम अल्फा	FFA	191.00	143.25	200.00	150.00	09.00
4.	40/— से अधिक 50/— तक	रेगुलर वीटा	EEB	201.00	150.75	210.00	157.50	09.00
5.	50/— से अधिक 60/— तक	रेगुलर अल्फा	EEA	221.00	165.75	230.00	172.50	09.00
6.	60/— से अधिक	सेमी	DDB	--	---	260.00	195.00	ubZ

	80/— तक	प्रीमियम बीटा						Js.kh
7.	80/— से अधिक 100/— तक	सेमी प्रीमियम अल्फा	DDA	297.00	222.75	300.00	225.00	03.00
8.	100/— से अधिक 130/— तक	प्रीमियम बीटा	CCB	339.00	254.25	340.00	255.00	01.00
9.	130/—से अधिक 170/— तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	372.00	279.00	380.00	285.00	08.00
10.	170/—से अधिक 230/— तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	488.00	366.00	490.00	367.50	02.00
11.	230/—से अधिक 290/— तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	493.00	369.75	500.00	375.00	07.00
12.	290/— से अधिक 500/— तक	स्काच बीटा	AAB	612.00	459.00	620.00	465.00	08.00
13.	500/— से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	634.00	475.50	640.00	480.00	06.00

(7) **विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 :—**

विदेशी मदिरा का मूल्य वर्ष 2008—09 की भांति वर्ष 2009—10 में भी बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में अधिक पड़ने के दृष्टिगत 375 एम0एल0 की धारिता में रु0 3 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 के मूल्य निर्धारण में रु0 5, बोतल की एम.आर.पी. निर्धारण के लिए प्रस्तावित एक्स आसवनी मूल्य में बढ़ाकर लिया जाए।

(8) **विदेशी शराब की थोक आपूर्तिः—**

(क) थोक अनुज्ञापनों के अनुज्ञापन शुल्क को युक्ति—युक्त करते हुए निम्नानुसार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता हैः—

क्रम	जनपद में वर्ष 2008—09 में	लाइसेन्स फीस

संख्या	फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	(रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	20.00 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख
5	30,00,000 लाख से अधिक बोतल	40.00 लाख

उपरोक्तानुसार उपभोग का आंगणन आबकारी आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(ख) **एफ0एल0—2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क**

एफ0एल0—2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क वर्ष 2009—10 हेतु रू0 5.00 लाख रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) **एफ0एल0—2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क**

वर्ष 2008—09 की भांति वर्ष 2009—10 में भी उक्त अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क यथावत् रू0 50,000 ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्तानुसार विशिष्ट जोन/ विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित उक्त लाइसेंसों की अवधि एक आबकारी वर्ष (2009—10) अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010—11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तो पर करा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा यथासमय विनिश्चित की जाये।

(9) **सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस :—**

सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस गतवर्ष की भांति सिविल में अनुमन्य प्रतिफल फीस की आधी प्रतिफल फीस आरोपण की व्यवस्था प्रभावी रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) **<u>भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>**

विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008–09 में प्रचलित रू0 35,000/– प्रति ब्राण्ड को वर्ष 2009–10 के लिये यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(11) **<u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–</u>**

वर्ष 2008–09 में विदेशों से आयातित मदिरा के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु 15,000/– प्रति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रू0 5000/– प्रति ब्राण्ड की वृद्धि करते हुए रु0 20,000/– प्रति ब्राण्ड किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(12) **<u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान :–</u>**

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी एम0आर0पी0 अंकित करना अनिवार्य होगा।

(13) **<u>विदेशी मदिरा (एफ0एल0–2ए):–</u>**

विदेशी मदिरा के एफ0एल0–2ए (सी0एस0डी0) की लाइसेंस फीस वर्ष 2008–09 वर्ष 2009–10 में यथावत् रू0 2500 रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(14) **<u>एफ0एल0–1/एफ0एल0–1एः–</u>**

वर्ष 2008–09 में एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख प्रति अनुज्ञापन तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 30,000/– निर्धारित है, जिसमें क्रमशः रु0 50000 व रू0 5000 की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009–10 में एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रू0 3,50,000/– एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 35000/– रखा जाए।

(15) **<u>बी0डब्लूएफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीसः–</u>**

बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2008–09 की भांति 2009–10 में यथावत निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया हैः–

अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि	अभ्युक्ति

BWFL-2A	5.00	3.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु।
BWFL-2B	3.50	1.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की बिक्री हेतु।
BWFL-2C	0.50	0.25	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की बिक्री हेतु।
BWFL-2D	0.25	0.10	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की बिक्री हेतु।

(16) **विदेशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन फीसः—**

वर्ष 2008—09 में विदेशी मदिरा के लेबुलों का अनुमोदन फीस 15000/— मे वर्ष 2009—10 के लिए रु0 5000/— प्रति लेबुल की वृद्धि करते हुए रु0 20000/— प्रति लेबुल रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(17) **विदेशी मदिरा की आयात अनुज्ञा पत्र फीसः—**

बोतलों में आयाातित विदेशी मदिरा की आयात फीस वर्ष 2009—10 में 4/— रूपये तथा विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/— प्रति बल्क लीटर अनुज्ञा प्रतिफल फीस प्रति लीटर वर्ष 2008—09 की भांति यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(18) **विदेशी मदिरा की निर्यात फीस (सिविल):—**

विदेशी मदिरा पर निर्यात फीस वर्ष 2008—09 की भांति वर्ष 2009—10 के लिए यथावत् रू0 5/— प्रति बल्क ली0 तथा बोतलों में रु0 2.67/— ए0एल0 रखा गया है।

(19) **विदेशी मदिरा के 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :—**

वर्ष 2009—10 में देशी शराब के 42.8 प्रतिशत के पौवे का न्यूनतम निर्धारित मूल्य रु0 41 रखे जाने के फलस्वरूप विदेशी मदिरा की सेमी प्रीमियम बीटा की श्रेणी, रु0 60 से रु0 80 एक्स आसवनी मूल्य तक है। सेमी प्रीमियम बीटा में 90 एम0एल0 की एम0आर0पी0, न्यूनतम रु0 60 एक्स आसवनी मूल्य पर रु0 40 व अधिकतम रु0 80 के एक्स आसवनी मूल्य पर एम.आर.पी. रु0 50 आती है। इस दृष्टि से सेमी प्रीमियम बीटा श्रेणी एवं अन्य निम्न श्रेणियों में 90 एम0एल0 धारिता का पौवा प्रतिबंधित करते हुए सेमी प्रीमियम अल्फा व उससे ऊपर की श्रेणियों में ही 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों की बिक्री अनुमन्य रखे जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 90 एम0एल0 धारिता की बिक्री हेतु शीशे के साथ—साथ **"सिरोंग पैक"** भी अनुमन्य किये जाने

की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्ष 2008—09 की भांति सुपर प्रीमियम व स्काच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री वर्ष 2009—10 में अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है।

(20) **<u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :—</u>**

वर्ष 2009—10 में भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की स्काच बीटा व स्काच अल्फा की श्रेणियों के अनुसार ही इक्वल प्लेइंग फील्ड की दृष्टि से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा में भी परमिट फीस निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया हैः—

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	**परमिट फीस**
रु0 0 से 500 तक	रु0 620 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 640 प्रति लीटर

7 <u>वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय</u>

(1) **<u>भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क</u>** :—

वर्ष 2008—09 की भांति वर्ष 2009—10 में भी वाइन पर आयात शुल्क यथावत 3/— प्रति लीटर रखा गया है।

(2) **<u>भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस</u>** :—

वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, निर्धारित किया जाता है।

(3) **<u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :—</u>**

आयातित वाइन में भी रु0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत, जो अधिक हो वर्ष 2009—10 में लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) **<u>अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना</u>** :—

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किये जाने का प्राविधान वर्ष 2008—09 की भांति वर्ष 2009—10 में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(5) **<u>अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः—</u>**

वर्ष 2008–09 में आयातित वाइन पर विदेशी मदिरा की भांति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु 15,000/– प्रति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस में रु0 5000/– प्रति ब्राण्ड की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009–10 के लिये रु0 20,000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित किया गया है।

(6) **<u>भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–</u>**

वाइन का ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008–09 में रू0 5000/– एवं लेबुल अनुमोदन भी रू0 5000/– निर्धारित था। इसे वर्ष 2009–10 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) **<u>वाइन की बिक्री :–</u>**

वाइन की बिक्री वर्ष 2008–09 की ही भॉति वर्ष 2009–10 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से की जाएगी।

(8) **<u>कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री :–</u>**

(क) एल0ए0बी0 के सेल प्वाइंट उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों पर लाइसेंस फीस और लाइसेंस के बिना एल0ए0बी0 की बिक्री इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि यदि कम तीव्रता के मादक पेय (एल0ए0बी0) को विदेशी मदिरा एवं बीयर के लाइसेन्सी द्वारा विक्रय करने की अनुमति देना चाहते हैं, तो सम्बन्धित लाइसेन्स में तद्विषयक प्राविधान सुनिश्चित् करें।

(ख) वर्ष 2009–10 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति ही एल.ए.बी. की बिक्री भी अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(9) **<u>कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–</u>**

कम तीव्रता के मादक पेय के लिये निर्धारित ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन को वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में यथावत क्रमशः रूपये 3000/– व 5000/– रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) **<u>कम तीव्रता के मादक पेय, ऐल, पोर्टर, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :–</u>**

उपरोक्त मादकों पर गत वर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है, जिसे वर्ष 2009–10 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

8. **<u>बार लाइसेन्स</u>**

(1) <u>बार लाइसेंस :–</u>

वर्ष 2009–10 में सभी श्रेणी के बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस गतवर्ष के अनुसार ही होगी। ऐसे मादकों के छोटे पैक जो एक बार खुलने पर जल्द खराब हो जाते है, जैसे बीयर और वाइन, के छोटे पैकों का विक्रय भी बार में अनुमन्य करते हुए बार अनुज्ञापनों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा में 60 एम.एल. की धारिता की बोतलें भी होटल के कमरों में उपभोग हेतु मानक मदिरा की उपलब्धता की दृष्टि से अनुमन्य किया जाना उपयुक्त रहेगा।

(2) बीयर की सभी धारिताओं, केन पैक व ड्राफ्ट बीयर अनुमन्य किया जाना।

(3) वाइन की सभी धारिताओं में बिक्रय अनुमन्य किया जाना।

(4) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल सभी ए.सी. कमरों में मिनी बार की व्यवस्था हेतु क्रमशः रु0 1.00 लाख व 50 हजार की अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस लेकर अनुमन्य किया जाना।

(5) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल कें कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, वैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर रु0 50 हजार प्रत्येक की अतिरिक्त वार्षिक फीस पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के साथ मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध कराया जाना। स्टार होटलों के लिये यह फीस रू0 1.00 लाख प्रति अतिरिक्त स्थान वार्षिक होगी।

(2) **<u>बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–</u>**

वर्ष 2008–09 में सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे निर्धारित है । साथ ही नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों को एक लाख रुपये अतिरिक्त फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार से विक्रय अनुमन्य है जिसे वर्ष 2009–10 में 12.00 बजे रात्रि से 1.00 बजे रात्रि तक की विस्तारित बिक्री अवधि के लिए रु0 1.25 लाख वार्षिक की अतिरिक्त फीस रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

9. **बीयर**

(1) **बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीसः–**

वर्तमान में बीयर की लाइसेंस फीस बिक्री की श्रेणियों के आधार पर निम्नानुसार श्रेणियां व लाइसेंस फीस निर्धारित हैः–

क्रम सं0	श्रेणी	अनुमानित वार्षिक बिक्री (650 एम0एल0 की बोतलों में)	लाइसेंस फीस (रुपये में)
1	1	12500 तक	25,000.00
2	2	12501 से 25000 तक	50,000.00
3	3	25001 से 50000तक	1,00,000.00
4	4	50000 से अधिक	1,50,000.00

विक्रय आधारित श्रेणियों को समाप्त कर बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(क) आबकारी आयुक्त स्तर पर उपलब्ध अंतिम मास के विवरण पत्र के आधार पर प्रदेश के बीयर के चलित उपभोग के औसत से प्रदेश के वार्षिक अनुमानित उपभोग का आगणन किया जायेगा।

(ख) प्रदेश की बीयर की वार्षिक लाइसेंस फीस (वर्तमान में वर्ष 2008–09) को वार्षिक अनुमानित उपभोग से भाग देकर प्रति बोतल लाइसेंस फीस का अधिभार ज्ञात हो जायेगा, जिसे अगले पूर्णांक में राउण्ड आफ कर दिया जायेगा। वर्ष 2008–09 में बीयर के उपभोग में वृद्वि 10 प्रतिशत से नीचे चल रही है। अतः इसी अधिभार को आबकारी आयुक्त वर्ष 2009–10 के लिए बीयर की लाइसेंस फीस निर्धारण हेतु प्रति बोतल अधिभार निर्धारित करेंगे।

(ग) बीयर की प्रत्येक दुकान का आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित मास तक चलित उपभोग के औसत के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी।

(घ) बीयर की दुकान के उपरोक्तानुसार आगणित वार्षिक अनुमानित उपभोग को आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए निर्धारित अधिभार से गुणा करके प्रत्येक दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी, तथा उसका परीक्षण उप आबकारी आयुक्त, प्रभार से कराकर लाइसेंस प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) **बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–**

(प) बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्त प्रस्तर 4 के उप प्रस्तर–1 व 2 के अनुसार किया जाएगा।

(पप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की दुकानों के व्यवस्थापन के साथ ही मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) का व्यवस्थापन भी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सम्पन्न कराया जायेगा।

(पपप) वाराणसी, लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) व आगरा जोन की व्यवस्थापन से अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2009–10 की निर्धारित लाइसेंस फीस पर ही किया जायेगा।

(पअ) उपरोक्त व्यवस्थापन में अवशेष रह गयी दुकानों का व्यवस्थापन शासन द्वारा इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार कराया जाएगा, किन्तु आबकारी आयुक्त द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के उत्तरदायित्व का परीक्षण जनपद की परिस्थितियों के क्रम में किया जाएगा।

(3) **बीयर की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीसः–**

वर्ष 2008–09 में प्रचलित प्रोसेसिंग फीस रु0 2500/– में रु0 500/– की वृद्धि करते हुए वर्ष 2009–10 के लिये रु0 3000/– प्रति प्रार्थना पत्र रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) **बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः–**

वर्ष 2009–10 में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को 25 प्रतिशत दुकानों के सृजन हेतु अधिकृत किया जाता है, किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

उपरोक्त प्रस्तर 9(1) के विवेचन के अनुसार बीयर की नवसृजित दुकानों की वाइविलिटी की दृष्टि से वर्ष 2009–10 के लिए नवसृजित बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस का निर्धारण निम्नानुसार निर्धारित न्यूनतम बोतलों की संख्या के आधार पर आगणित करके नियमानुसार समाचार पत्रें में प्रकाशित कराकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से उपरोक्तानुसार निर्धारित चरणों में व्यवस्थापन कराये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	न्यूनतम बोतलों की संख्या, जिसके आधार पर अनुज्ञापन शुल्क आगणित किया जाना है।
1	नगर निगम	117000

2	नगर पालिका	62800
3	नगर पंचायत	31000
4	ग्रामीण	20000

इस सम्बन्ध में यह प्रतिबंध होगा कि नवसृजित दुकानों की प्रास्थिति का निर्धारण आबकारी आयुक्त के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ही किया जाए।

(5) **बीयर की प्रतिफल फीसः–**

बीयर की प्रतिफल फीस वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 के लिए निम्न प्रकार होगीः–

कमांक	**बीयर का प्रकार**	**प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)**
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बियर	18.50/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) या 28.46 प्रति लीटर
2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बियर	32.00/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) या 49.23 प्रति लीटर

(6) **बीयर का थोक लाइसेंस :–**

बीयर के थोक आपूर्ति की व्यवस्था प्रस्तर–6 के उप प्रस्तर 8 के अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) **अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :–**

ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी रू0 10,000/– प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(8) **अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीसः–**

वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भीं अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस की दरें यथावत् निम्नानुसार लिये जाने का निर्णय लिया गया हैंः–

(क) 5 प्रतिशत वी/वी तक रु0 20/– (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(ख) 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं रू0 35/– (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

8 प्रतिशत वी/वी तक

(9) **भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन** :–

बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी रू0 12,000/– प्रति ब्राण्ड यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) **बीयर की एम0आर0पी0 :–**

बीयर का निर्माता/बाण्ड धारक इकाइयों को वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी एम0आर0पी0 अंकित करना अनिवार्य होगा।

(11) **बीयर व एल0ए0बी0 का निर्यात शुल्कः–**

बीयर का निर्यात शुल्क 1/– प्रति ब0ली0 तथा कम तीव्रता के मादक पेय का निर्यात शुल्क 1/– प्रति ब0ली0 वर्ष 2008–09 में निर्धारित है, जिसे वर्ष 2009–10 में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(12) **बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः–**

कम हानिकारक फ्लैश पाश्चुराइजेशन की प्रकिया से तैयार की गयी ड्राफ्ट बीयर के आयात के प्रोत्साहन के दृष्टिगत इस बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति लीटर रखा जाना तथा ड्राफ्ट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रू0 2/– प्रति लीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) **बीयर के लेबुलों का अनुमोदन :–**

बीयर के लेबुलों का अनुमोदन फीस वर्ष 2008–09 की भॉति वर्ष 2009–10 में रू0 5000/– यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(14) **बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–**

बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2009–10 में भी

इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाना प्रस्तावित है, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकी है, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2009–10 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाए । दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

10 **माडल शाप**

वर्ष 2009–10 के लिए माडल शाप की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	22 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बियर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 22 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी।	1.00 लाख

माडल शाप में मदिरा पान की सुविधा के लिये वर्ष 2009–10 में भी रू0 50,000/– अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जाएगी। माडल शाप पर मदिरा पान की सुविधा को स्पष्ट करते हुए इस सुविधा में अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ताओं के बैठने की व्यवस्था, गिलास, पानी, बर्फ, सोडा, स्नैक्स व विभिन्न खाद्य पदार्थों को पका कर उपलब्ध कराया जाएगा।

(1) **माडल शाप्स का व्यवस्थापन:–**

माडल शाप के व्यवस्थापन के लिए जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्तर से क्षेत्र चिन्हित कर विज्ञापनोंपरान्त आवेदन मांग कर अर्ह अनुज्ञापियों के मध्य स्थान विशेष के लिए अनुज्ञापी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए निम्नानुसार जिलास्तरीय समिति बनाया जाए:–

1– जिले का कलेक्टर अध्यक्ष

2–	जिले का वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3–	आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रित अधिकारी	सदस्य
4–	जिले का जिला आबकारी अधिकारी	सदस्य/सचिव

वर्ष 2008–09 में संचालित हो रही सभी माडल शाप्स भी वर्ष 2009–10 के लिए सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से विज्ञापन देकर व्यवस्थित की जायेगी। जिलाधिकारी वर्ष के प्रारम्भ में ही जनपद की आवश्यकता के अनुसार माडल शाप्स के क्षेत्र निर्धारित कर आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से विज्ञापन कराकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थित कराया जाना सुनिश्चित करें। माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर की दुकानों के साथ ही विज्ञापन देकर व्यवस्थित कराया जाए।

परन्तु विशिष्ट जोन मेरठ जोन में समस्त माडल शाप्स प्रस्तर–4 के उप प्रस्तर–1 के अनुसार चयनित उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था/निगम द्वारा संचालित कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार विशिष्ट जोन/ विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) व अन्य जोनों में व्यवस्थित उक्त माडल शाप्स के लाइसेंसों की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग जिसके लिए लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी, परन्तु यदि अनुज्ञापी चाहे, तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसकी अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तो पर करा सकता है, जो यथासमय विनिश्चित की जाये।

11 **<u>भांग</u>**

(1) **<u>भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–</u>**

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2008–09 की भॉति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार वर्ष 2009–10 में भी किया जायेगा । भांग के लिये निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी। एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी।

(2) **<u>भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः–</u>**

वर्ष 2008–09 की भांति वर्ष 2009–10 में भी भांग के निर्यात पर रु0 4/– प्रति किलो की दर से निर्यात फीस यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

12 **<u>अन्य</u>**

<u>(1) सी0एल0–2 के अवशेष स्टाक का निस्तारणः–</u>

सी0एल0–2 के थोक अनुज्ञापन दिनांक 31–03–09 को समाप्त हो जाने के कारण अनुज्ञापी द्वारा अवशेष विक्रय नहीं किया जा सकेगा, अतः अनुज्ञापी 31–03–09 की समाप्ति पर अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–09 को दोपहर 12.00 बजे तक करेंगे। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देद्गाानुसार किया जाएगा।

<u>(2) आवेदक का पता व फोटो पहचान प्रमाण पत्र तथा पैन नं0 की अनिवार्यताः–</u>

आवेदक आवेदन पत्र के साथ अपने आवासीय पते के प्रमाण तथा फोटो पहचान के रुप में निम्न अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगाः–
(1)पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7) पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्वावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र(9) स्वतंत्रा सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र।

आवेदक आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन भी करेगा कि वह चयनित हो जाने पर 03 माह के अंदर आयकर विभाग का पैन नं0 कार्ड अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करेगा।

<u>(3) उ0प्र0 वाटलिंग रुल्स 1969 में प्रदेश की आसवनियों को भी एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए अर्ह किया जाना :–</u>

उ0प्र0 वाटलिंग रुल्स 1969 के नियम–2 में प्रदेश के बाहर और देश के बाहर की आसवनियों को प्रदेश की आसवनियों के द्वारा स्थापित एफ0एल0–3 अनुज्ञापनों के परिसर में, एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत दी गई भराई करने की सुविधा, प्रदेश की आसवनियों को भी दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(4) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों की बेसिक लाइसेन्स फीस, लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति धनराशिः—

आगामी आबकारी वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व 10 मार्च तक व्यवस्थापित दुकानों की आधी बेसिक लाइसेन्स फीस, लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति धनराशि 15 मार्च तक तथा अवशेष आधी बेसिक लाइसेन्स फीस, लाइसेन्स फीस तथा प्रतिभूति धनराशि को 25 मार्च तक जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित् की जाए।

10 मार्च के बाद व्यवस्थित देशी शराब के अनुज्ञापनों की बेसिक लाइसेन्स फीस तथा प्रतिभूति धनराशि व विदेशी मदिरा व बीयर तथा माडल शाप के अनुज्ञापनो की लाइसेन्स फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

(5) पेय मदिरा निर्माता पी0डी0—2 अनुज्ञापन धारक आसवनियां देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों की मांग के अनुसार युक्तियुक्त समयान्तर्गत, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा, देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु बाध्य होंगी।

(6) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा माडल शाप्स के खुलने का समयः—

देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानें तथा माडल शाप्स के खुलने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक है। इसे प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

13 वर्ष 2009—10 के लिये विभाग द्वारा अनुमानित राजस्वः—

क्रमांक	मद	रू0 करोड़ में
1	**देशी शराब**— प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	**2800.00**
2	**विदेशी मदिरा**— प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	**1575.00**
3	**बीयर** — प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	**275.00**
4	**अन्य मद**—	**250.00**
योगः—		**4900.00**

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आपके उपरोक्त अनुमानित राजस्व रू0 4900 करोड़ के सापेक्ष रू0 5200 करोड़ आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के आधार पर जनपदों के लिये आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करते हुए, कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व—सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विशेष जोन के रूप में की गई दोहरी व्यवस्था में यह सुनिश्चित् करने का कष्ट करें कि आबकारी देयों की वसूली के बारे में विधिक व्यवस्था चयनित संस्था पर अवश्य रखी जाए, जिससे विगत अनुभव की पुनरावृत्ति उत्पन्न न हो।

14. उपर्युक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित् करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन/विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च, 2009 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित् किया जाय। यदि किन्हीं अधिनियमों/नियमों/ अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) शासन को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। प्रश्नगत संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित् कराने हेतु आबकारी आयुक्त स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर ली जाए, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

<u>संलग्नक– यथोक्त।</u>

ह0 /अपठनीय
(नवल किशोर)
विशेष सचिव।